उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0)
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah-206130 (U.P.)

पत्र सं0 3718 / यू0पी0यू0एम0एस0 / आवास(79) / 2022–23 दिनांक: 29 नवम्बर, 2022

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से पूर्व में पत्र सं0 55 / उ0प्र0आ0वि0वि0 / आवास (79) / 2022–23 दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 में जारी नया आवासीय परिसर टाईप–4 की वरिष्ठता सूची अनुसार निम्नवत नया आवासीय परिसर में टाईप–4 आवास आवंटित किये जाते हैं।

Seniority No.	Name	Flat No.
37	Dr. Sarika Pandey (Asstt. Professor Obs & Gynae)	802
38	Dr. Sajag Kumar Gupta ((Asstt. Professor Neuro Surgery)	804
39	Dr. Deepika Doneria (Asstt. Professor Anaesthesia)	901
40	Dr. Shambhavi Mishra (Asstt. Professor, Paedia)	903
41	Dr. Subhash Chandra (Asstt. Professor, Cardiology)	904
43	Dr. Vedant Kulshrestha (Asstt. Professor, Forensic Med.)	902

उपरोक्त सूची का वरिष्ठता क्रम केवल आवास आवंटन हेतु है। अन्य किसी सेवा लाभ हेतु नहीं हैं।

कृपया उक्त आवास का कब्जा 07 दिवसों के अन्दर इन्वेन्ट्री सहित प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। आवास कब्जा लेने के उपरान्त आपसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार जल एवं विद्युत प्रभार के रूप में आपके वेतन से कटौती वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। यदि आप निर्धारित अवधि में मकान का कब्जा प्राप्त नहीं करते है तो 07 दिन की प्रतीक्षा के उपरांत यह आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। मकान का किराया, विद्युत कर एवं जल प्रभार की दरों को संशोधित करने का अधिकार मा0 कुलपति महोदय का होगा। आपका दायित्व होगा कि आप आवंटित आवास को सही हालत में रखेंगे तथा इसके अतिरिक्त आप द्वारा आवास में न तो कोई तोड़फोड़ की जायेगी न ही इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कराया जायेगा। कृपया पूर्व में आवंटित आवास की चाबी 07 दिवसों में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा। आवास आवंटित करवाने के उपरांत उसे खाली छोड़ना या अन्य किसी को निवास करने हेतु देना या किसी अन्य को किराये पर देना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा। एकबार आवास आवंटित होने के उपरांत कब्जा न लेने तथा इन्वेन्ट्री न कराने की स्थिति में आपका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आवास की समस्त इन्वेन्ट्री को सही हालत में रखेंगे तथा खाली करने पर सम्पूर्ण इन्वेन्ट्री सही हालत में विश्वविद्यालय को हस्तगत करेंगे। तोड़फोड़ या इन्वेन्ट्री को क्षति पहुंचाने पर नियमानुसार आवश्यक धनराशि वसूल की जायेगी।

उक्त आवंटन पूर्णतया अस्थायी प्रकृति का है। सक्षम अधिकारी के किसी भी आदेश से उक्त आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, जिस हेतु आपके द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त आवंटन मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से किया जा रहा है।

नोटः– जिन चिकित्सकों को आवास ऑफर किया गया था एवं जिन लोगों ने आवास लेने हेतु मना कर दिया तथा विश्वविद्यालय के बाहर निवास कर रहे हैं, उन्हें एच0आर0.ए0 अनुमन्य नहीं होगा।

(के0बी0 अग्रवाल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं सदस्य
सचिव आवास आवंटन समिति

प्रतिलिपिः

1. उपरोक्त समस्त संबंधित
2. निदेशक (वित्त)।
3. सहायक अभियंता
4. प्रभारी अधिकारी (सी0ए0सी0) को विश्वविद्यालय की वेबसाईटन पर प्रदर्शित करने हेतु।
5. वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. संबंधित पटल सहायक को संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित करने हेतु।
7. निजी स्टॉफ प्रति कुलपति।
8. निजी स्टॉफ कुलसचिव।
9. पटल सहायक आवास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त नोटिस बोर्ड।
11. श्री अशोक कुमार, [illegible]

(के0बी0 अग्रवाल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं सदस्य
सचिव आवास आवंटन समिति

C.P

07.12.22